भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 958
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सीएसआर निधि

958. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन कॉर्पोरेट संस्थाओं या कंपनियों का डेटा है, जिन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, नवीनीकरण या उन्नयन के लिए निधि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सीएसआर योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन तंत्र प्रस्तावित या कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परामर्श से आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास के लिए सीएसआर निधि के उपयोग को सुगम बनाने हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): जी, नहीं।

हालाँकि, देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे एमपीएलएडी, एमएलएएलएडीएस, बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), इत्यादि से निधि जुटाना जारी रखें। राज्यों को अपने स्तर पर, अपने विवेक से, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए व्यक्तियों, कंपनियों, व्यावसायिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों से, बिना किसी बाध्यता के, पूरी तरह से निःशुल्क आधार पर, सीएसआर निधि प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है। इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट भी इसके लिए पूरी तरह से निःशुल्क आधार पर और बिना किसी बाध्यता के, संसाधनों को प्रोत्साहित/एकत्रित कर सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे शौचालय, वर्षा जल संचयन प्रणाली (आरडब्ल्यूएचएस), पेयजल और स्वच्छता (डीडब्ल्यूएस) इत्यादि या आंगनवाड़ी गतिविधि के किसी भी पहलू जैसे ईसीसीई सामग्री, फर्नीचर, खाना पकाने के बर्तन, रसोई अवसंरचना, भंडारण सुविधा इत्यादि के वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने का परामर्श दिया गया है।

(घ): मंत्रालय ने तीन मिशनों, अर्थात् मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य, के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु संगठनों, व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स इत्यादि के साथ सहयोग को सुगम बनाने हेतु 29 नवंबर, 2024 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट https://wcd.gov.in पर उपलब्ध है।
